

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

क्रमांक: RELEIF/RABI-2075/BMS/SMF 33-50/ME REJECTED/ 711

दिनांक: 14/02/2023

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2075/SAW/0005936

प्रशासनिक स्वीकृति


विषय:- अभाव संवत् 2075 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5075-118 दिनांक 08.07.19 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2075 (रबी-2018-19) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
बामनवास	4	SMF	33%-50%	4590
योग	4			4590


उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[02]-12 बजट मद पर भारत होगी ।

712-722  
14/02/2023

  
जिला कलेक्टर,  
सवाई माधोपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, .....स.प्र.स.।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद...स.प्र.स.।
6. अति. जिला कलेक्टर...स.प्र.स.।
7. तहसीलदार .....स.प्र.स.।
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....स.प्र.स.।
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....स.प्र.स.।
10. रक्षित पत्रावली।

  
जिला कलेक्टर,  
सवाई माधोपुर